बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका सं0–4 / विधि–08–54 / 2024 **/ पटना, दिनांक–**

स्वास्थ्य विभाग अधीन प्रयोगशाला प्रावैधिक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–05010115 दिनांक–21.06.2015 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या–6761 / 2020 एवं अन्य वाद दायर किया गया।

2. उक्त वाद में दिनांक–03.03.2021 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल0पी0ए0 संख्या–374 / 2021 एवं अन्य दायर किया गया। जिसमें दिनांक–06.12.2023 को पारित अंतिम न्यायादेश द्वारा बहाली प्रक्रिया बिहार प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग नियमावली–2014 के अनुसार पूरा करने का आदेश पारित है।

3. उक्त न्यायादेश के विरूद्ध अभ्यर्थियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP(C) No.-3412-3414 कुमार प्रवीण प्रताप एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–11.08.2026 को पारित न्यायादेश का कंडिका–10 निम्नवत् हैः–

However, we cannot lose sight of the fact that the appellants have rendered service as Lab Technician/X-ray Technician in Government institutions for more than fifteen years. It is not in dispute that 610 posts are yet to be filled up. Considering the long period of services provided by the appellants, interest of justice would be subserved if a direction for regularization of the services of the appellants is issued. We accordingly issue the following directions:-

A. The State Government shall formulate a scheme for regularization of the appellants to the post of Lab Technician/X-ray Technician and shall regularize the services of the appellants.

B. The appellants shall neither be entitled to the benefit of seniority nor to the benefit of pay-scale of the post of Lab Technician/X-ray Technician for the period prior to their regularization.

C. The period of service rendered by the appellants shall 3 K. Manjusree vs. State of Andhra Pradesh and Another, (2008) 3 SCC 512; and Abhay Kumar Patel and Others vs. State of Bihar and Others, 2026 SCC Online SC 20 6 be reckoned for the purposes of the pension, if the post of Lab Technician/X-ray Technician is otherwise pensionable.

D. Liberty is granted to the State to decide whether the appointment of the appellants to the post of Lab Technician shall be treated as an extra cadre contractual appointments or within the cadre.

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के अनुपालन हेतु एक त्रि–सदस्यीय कमिटी का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:–

(i) श्री शंभु शरण, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना – अध्यक्ष

(ii) निदेशक प्रमुख,
रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल, स्वास्थ्य सेवायें,
बिहार, पटना – सदस्य

(iii) श्री नीरज कुमार, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना – सदस्य

5. अध्यक्ष को निदेशित है कि उक्त विज्ञापन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में सभी बिन्दुओं की विस्तृत समीक्षा कर यथाशीघ्र उसका सुस्पष्ट प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में उक्त समिति के विधिक परामर्श हेतु विधि पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निदेशित किया जाता है।

7. प्रस्ताव में सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–4/विधि–08–54/2024 –1741(4B) **पटना, दिनांक–**03/11/2026

प्रतिलिपिः–श्री शंभु शरण, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–निदेशक प्रमुख, रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्री कृष्ण गोपाल, विधि पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्री नीरज कुमार, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/11/26
सरकार के विशेष सचिव।